उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या–759 / XXVII(9)/2011/स्टाम्प–48 / 2008
देहरादून:: दिनांक:: 2 दिसम्बर, 2011

<u>अधिसूचना</u>

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2, 1899) (समय समय पर यथासंशोधित) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शाक्ति का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से अनुसूची 1बी के अनुच्छेद 23 खण्ड (क) के अर्न्तगत निःशक्त व्यक्तियों द्वारा रू0 05 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) तक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत (25%) की छूट दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। निःशक्तता से क्रमशः 1 अन्धता 2.कम दृष्टि 3. कुष्ठरोगयुक्त 4.श्रवण शक्ति का हास 5. चल निःशक्तता 6. मानसिक मंदत्ता 7. मानसिक रूग्णता अभिप्रेत है।

(आलोक कुमार जैन)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या–759 (1) / XXVII(9)/स्टाम्प–48 / 2011, तद्‌दिनांक।</u>
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिला निबन्धक, उत्तराखण्ड।
5. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी / अंग्रेजी अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200–200 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय / विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौडियाल)
सचिव, वित्त।